अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामकिशोरी बनाम शैतान वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 221/2023 (किशनगढ़)

रिमाण्ड 5/7/23

	श्री राकेश अरोड़ा एड.	
03.07.2023	रामकिशोरी बनाम शैतान वगैरह (221/2023) यह अपील श्री राकेश अरोडा एडवोकेट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 जा0दी0 वास्ते स्थगन आदेश पारित किये जाने बाबत पेश किया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु रिजर्व रखी जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
05.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 03.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत कथन किया कि आराजीयात ग्राम किशनगढ बी (मदनगंज), पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, किस्म गै0मु0चाह एवं खसरा नम्बर 1420 रकबा 2.2743 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अवैधानिक रूप से उपरोक्त आराजीयात में अपीलांटस का विधिक हिस्सा निहित होने के बावजूद भी मौके से बेदखल करके उक्त आराजीयात को बैचान, हस्तान्तरकण करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दू अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रबल है अपीलार्थीगण का उपरोक्त आराजीयात में पैतृक हक, हिस्सा, अधिकार, स्वत्व है गतल तरीके से अवैध रिलिज (हकत्याग) करने से रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलार्थीगण को अवैध रूप से मौक्क से बेदखल करने पर आमादा है एवं उपरोक्त भूमि अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने पर उतारू है। रेस्पोडेन्टस अवैध रूप से अपने कृत्य में कामयाब हो जायेगे तो अपीलार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात ग्राम किशनगढ बी (मदनगंज), पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.0243 हैक्टर, किस्म गै0मु0चाह एवं खसरा नम्बर 1420 रकबा 2.2743 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जावे कि अपीलांटस के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे, अन्य दिगर, व्यक्ति का बैचान, हस्तान्तकरण, शक्ल परिवर्तन नहीं करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल अपील बनाये रखने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 92/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसमें अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामकिशोरी बनाम शैतान वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राज.काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 221/2023 (किशनगढ़)

श्री राकेश अरोड़ा एड

लगातार

न्यायालय ने दिनांक 19.06.2023 को प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रार्थीगण को सुना जाकर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बहस के पश्चात आदेश में यह अंकित नहीं किया गया है कि अन्तरिम स्थगन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अन्तरिम स्थगन जारी नहीं किये जाने का कारण अंकित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं अंकित नहीं किया। यदि अपीलांट के हिस्से हक व अधिकार की भूमि में अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते है तो प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति अपीलांट को ही होनी है। अपीलांट ने यह अपील अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जबकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की अन्तरिम स्थगन बाबत् चाराजोही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। चुंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से पूर्ण करवा कर, उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस मे आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए 60 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर